मध्यप्रदेश विधान सभा

जून–अगस्त, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 1 अगस्त, 1990 (श्रावण 10, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ

संविधान के अनुच्छेद 333 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट आंग्ल भारतीय समुदाय की श्रीमती ई. लैमोस शपथ लेंगी, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगी और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगी.

2. प्रश्नोत्तर

पृथक्‌तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1990-91 का भाग 1 व 2 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री, दिनांक 29 जून, 1990 को सदन में दिये गये वक्तव्य के अनुसरण में मध्यप्रदेश मंत्रिमण्डल के शेष सदस्यों द्वारा दिये गये सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखेंगे.

(4) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (दिनांक 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष) पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम बांसाझाल के आदिवासियों की झोपड़ियों को तोड़े जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम बीजलीपुरा की एक महिला के साथ बलात्कार होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय / चन्द्रकान्त गुप्ता, सदस्य, संचालनालय नगर प्रशासन के एक अधिकारी द्वारा नियुक्तियों में अनियमिततायें किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, रायपुर जिले के ग्राम छितौना के निकट जीप-ट्रक दुर्घटना से दस लोगों की मौत होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री रामलखन शर्मा, जगदम्बाप्रसाद निगम, विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम खमरा में डकैतों द्वारा हरिजन महिलाओं को जिन्दा जलाये जाने की घटना की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री ललित जैन, मनीष कुंजाम, सदस्य, इन्दौर जिले के सागर पेशा गांव में आदिवासियों की झोपड़ियां तोड़ी जाने की घटना की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री छोटेलाल उइके, सदस्य, कृषकों की कर्जामाफी नीति के अन्तर्गत वन ग्रामवासियों एवं भूमि संरक्षण के कर्जे माफ न हो पाने की ओर वन, कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, बालाघाट वन वृत्त से काटी गई लकड़ी की निकासी न होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री रामनिवास रातव, सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, ग्वालियर एवं रायपुर के मिडिल छात्रों को नियमानुसार तीन विषयों में पूरक की पात्रता न दिये जाने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री रामराव महाले, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के सोंसर विधान सभा क्षेत्र के कई ग्रामों में राजस्व भूमि से अवैध उत्खनन होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) ठाकुर दरबार सिंह, सदस्य, दुर्ग शहर में लूट की वारदातों में वृद्धि होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री श्यामाचरण शुक्ल, सदस्य, बालाघाट शहर में हत्या एवं मारपीट की घटनायें होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री भगवत सिंह यादव, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम करेरा में डकैती की घटनायें होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री कमलेश्वरप्रसाद द्विवेदी, सदस्य, सीधी जिले के चितरंगी क्षेत्र में बारिश से तीन पुलिया टूटने से आवागमन अवरुद्ध होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री उदयसिंह पण्ड्या, सदस्य, उज्जैन जिले के बड़नगर में एक स्कूल चौकीदार की हत्या होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री नन्दकुमार सिंह चौहान, सदस्य, बुरहानपुर विकास खण्ड के ग्राम डोंगरगांव के सरपंच द्वारा अनियमिततायें किये जाने की ओर राज्यमंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य, रायपुर जिले के सिहांवा क्षेत्र की वन भूमि का व्यवस्थापन न होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, भोपाल में कार्यालयीन भूमि का एक भाग अवैधानिक ढंग से एक निजी संस्था को बेचे जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री के.डी. देशमुख, सदस्य, बालाघाट जिले में बैहर के समीप बैन गंगा सीमेंट फैक्ट्री से प्रदूषण फैलने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री रामविचार नेताम, सदस्य सरगुजा जिले के ग्राम केरता निवासी व्यक्तियों पर प्राणघातक हमला किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) डॉ. सुधन्वा सिंह नेताम, सदस्य, बालाघाट के मालाजखण्ड थाना कर्मियों द्वारा अकारण मारपीट किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सदस्य, रायगढ़ जिले के जशपुर एवं मनोरा में बाल विकास परियोजनाएं बन्द होने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री झुमुकलाल भेंड़िया, सदस्य, दुर्ग जिले के ग्राम अड़मुडकसा में आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत निर्मित स्टाप डेम ढह जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री रामकृष्ण कुसमरिया, सदस्य, दमोह जिले की हास्ट उद्वहन सिंचाई योजना हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न मिल पाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री लक्ष्मण जयदेव सतपथी, सदस्य, द्वारा भोपाल स्थित भारत भवन की कार्य प्रणाली पर मिथ्या आरोपण से साहित्यकारों में रोष फैलने की ओर दिनांक 27 जुलाई 90 को किए ध्यान आकर्षण के संबंध में मुख्य मंत्री का उत्तर पटल पर रखा जाएगा.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री मोतीलाल वोरा, सभापति, लोक लेखा समिति का 133 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य :—

(क) जिला सीधी, ब्लाक सिंहावल के ग्राम बांकी एवं दुधमनिया में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु नलजल योजना प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में 12 व्यक्तियों की,

(ख) जिला सीधी, ब्लाक सिंहावल के ग्राम वल्हया एवं चितवरिया नंबर 1 से 6 तक में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु नल जल योजना प्रारंभ कराये जाने के संबंध में 12 व्यक्तियों की,

(ग) जिला सीधी, ब्लाक सिंहावल के ग्रामों में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नकझार, अमिलिया, अभनपुर तथा सुपेला के भवनों का निर्माण कराये जाने के संबंध में 22 व्यक्तियों की,

(घ) जिला सीधी, ब्लाक सिंहावल के ग्राम करौली कला एवं कोरौली खुर्द तथा जमुई में पाने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु नल जल योजना प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में 15 व्यक्तियों की,

(ङ) जिला सीधी, ब्लाक सिंहावल के ग्राम पोखरा में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये नये भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में 10 व्यक्तियों की,

(च) जिला सीधी, ब्लाक सिंहावल के महाविद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 11 व्यक्तियों की,

(छ) जिला सीधी, ब्लाक सिंहावल के ग्राम सुपेला एवं उकला में पीने की पानी की समुचित व्यवस्था हेतु नलजल योजना प्रारंभ कराये जाने के संबंध में 11 व्यक्तियों की,

(ज) जिला सीधी, ब्लाक सिंहावल के ग्राम डढ़िया एवं परसवार में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु नल जल योजना प्रारंभ कराये जाने के संबंध में 11 व्यक्तियों की, तथा

(झ) जिला सीधी, ब्लाक सिंहावल के ग्राम धोपारी एवं देवगांव में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु नल जल योजना प्रारंभ कराये जाने के संबंध में 12 व्यक्तियों की

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(2) ठाकुर दरबार सिंह, सदस्य :—

(क) जिला राजनांदगांव, ग्राम गंडई पंडरिया में महाविद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 51 व्यक्तियों की,

(ख) जिला राजनांदगांव, ग्राम गंडई पंडरिया में कृषि उपज मंडी खोले जाने के संबंध में 54 व्यक्तियों की,

(ग) जिला राजनांदगांव के गंडई पंडरिया में विद्युत विभाग का स्थायी कार्यालय खोले जाने के संबंध में 30 व्यक्तियों की,

(घ) जिला राजनांदगांव के गंडई चिकित्सा केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिलाये जाने के संबंध में 36 व्यक्तियों की,

(ङ) जिला राजनांदगांव, तहसील छुईखदान के ग्राम पंडरिया की कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 36 व्यक्तियों की, तथा

(च) जिला राजनांदगांव के ग्राम गंडई पंडरिया में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु टंकी निर्माण कराये जाने के संबंध में 40 व्यक्तियों की,

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री लक्ष्मण जयदेव सतपथी, सदस्य

(क) जिला रायपुर की तहसील बसना की वर्ष 1989 में प्रस्तावित जल प्रदाय योजना को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में 21 व्यक्तियों की, तथा

(ख) जिला रायपुर की तहसील सराईपाली में व्यवहार न्यायालय शीघ्र प्रारंभ कराये जाने के संबंध में 16 व्यक्तियों की,

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री रामानन्द सिंह, सदस्य, भोपाल गैस पीड़ितों को अन्तरिम राहत वितरण की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया में सुधार किये जाने के संबंध में 41 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(5) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, भोपाल गैस काण्ड में गंभीर रूप से प्रभावित पीड़ितों का त्रुटिपूर्ण क्लेम मेडिकल केटेगराईजेशन रद्द कर पुनः क्लेम मेडिकल केटेगराईजेशन करने के संबंध में 49 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(6) श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, सदस्य, जिला रीवा के रायपुर कर्चुलियान में पर्याप्त जल सुविधा, उपलब्ध कराने के संबंध में 15 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(7) श्री प्रभात कुमार पाण्डे, सदस्य, मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग में दैनिक वेतन भोगी स्नातक इंजीनियरों को नियमित किये जाने के संबंध में 18 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री मोहम्मद गनी अंसारी, राज्यमंत्री, मछली पालन, मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 24 सन् 1990) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

45 मिनट (2) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्ति, व्यापार आजीविका और सेवा योजन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 23 सन् 1990) पर विचार किया जाय उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मिनट (3) श्री मोहम्मद गनी अंसारी, राज्य मंत्री मछली पालन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य-मत्स्य विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 24 सन् 1990) पर विचार किया जाय उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 130 के अधीन सामान्य लोक हित के विषय पर चर्चा

1 घन्टा श्री अर्जुनसिंह, सदस्य, तेन्दू पत्ता व्यापार से हुए लाभांश की शेष राशि का हितग्राहियों को तुरन्त वितरण किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा उठायेंगे.

निर्धारित समय

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

30 मिनट (1) प्रदेश के विभिन्न वन अंचलों में चल रही वृक्षों की अवैध कटाई एवं वनों में अग्निकांड की घटनाओं से हो रही क्षति एवं वन्य प्राणियों के पलायन के संबंध में श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, श्री मोतीलाल वोरा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

45 मिनट (2) मध्यप्रदेश शासन की वर्ष 1986 से लागू आबकारी नीति के कारण देशी मदिरा के निर्माण में महुआ की अनिवार्यता हटाने से राजस्व की क्षति होने के संबंध में श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा (3) प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदयसिंह पण्डया, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

45 मिनट

10. नियम 142 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अल्प कालीन चर्चा

प्रदेश की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति पर जून-अगस्त, 1990 सत्र में वित्त मंत्री द्वारा सदन के पटल पर रखे गये श्वेत पत्र से उद्भूत मुद्दों पर श्री रामप्रताप सिंह, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक 31 जुलाई, 1990

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.